भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1819
(जिसका उत्तर मंगलवार दिनांक 04 अगस्त, 2026/13 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

देश से बाहर भागने वाले बैंक धोखेबाज

1819 श्री देरेक ओब्राईनः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) बैंक धोखाधड़ी करके देश से बाहर भागने वाले धोखेबाजों के दर्ज मामलों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और
(ख) देश में ऐसे भगोड़े धोखेबाजों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गईं हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के उपबंधों के तहत बैंक धोखाधड़ी के 32 मामलों की जांच कर रहा है, जिसमें 54 आरोपी देश से बाहर फरार हैं। इन मामलों में, फरार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की गई है, जिसमें नोटिस जारी करना (रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर आदि), भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफ.ई.ओ.ए.) के उपबंधों के तहत कार्यवाही शुरू करना, विदेशी क्षेत्राधिकारों से आरोपी के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध करना आदि शामिल हैं।

ऐसे 27 आरोपियों के खिलाफ एफ.ई.ओ.ए. के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, जिनमें से 09 व्यक्तियों को संबंधित न्यायालयों द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है और ऐसे व्यक्तियों की 840.68 करोड़ रुपये की आस्ति जब्त की गई है। इनमें से 18 आरोपियों के खिलाफ प्रत्यर्पण कार्यवाही भी शुरू की गई है और पीएमएलए, 2002 के उपबंधों के तहत 35,166.28 करोड़ रुपये की आस्ति कुर्क की गई, जिसमें से 15,184.19 करोड़ रुपये की आस्ति जब्त की गई है।
